न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर जि. जयपुर

महेन्द्र बनाम ओमपाल

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	45/22 [illegible] आज्ञा विस्तृत रुप से
	30/11/22	पत्रावली आज दिनांक 30/11/22 [illegible] पुर द्वारा कार्यालय [illegible] जाने से [illegible] पूर्वानुसार दिनांक 27/12/22 को पेश हो।
	27/12/22	पत्रावली आज दिनांक 27/12/22 को पेश हुई। [illegible] एसो. [illegible] द्वारा [illegible] जाने से [illegible] पूर्वानुसार दिनांक 23/1/23 को पेश हो।
	23/1/23	पत्रावली प्रस्तुत। व. फ. उप.। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 2, 6 7 8 की ओर से जवाब दावा पेश किया जिसकी प्रति वादी अधिवक्ता को दिलाई गई। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 2/2/2023 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
	2/2/2023	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी संख्या-1 ओमपाल की ओर से जरिये अधिवक्ता प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा-10 सी.पी.सी. संपठित धारा-151 CPC पेश हुआ। वादी अधिवक्ता को प्रा० पत्र की प्रति दिलाई गई। वादी अधिवक्ता ने प्रा० पत्र का जवाब पेश नहीं कर सीधे बहस की। उभयपक्ष अधिवक्तागण की प्रा० पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या-1 के

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर जिला जयपुर

महेन्द्र **बनाम** ओमपाल

मुकदमा संख्या /वर्ष 45/22 (अपील) /20

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
		अधिवक्ता ने जाहिर किया की प्रार्थी ने दिनांक 23-12-2021 को वाद संख्या 96/2021 बउनवानी ओमपालसिंह बनाम गोपाल वगै. बाबत् विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया हुआ है। उपरोक्त वाद पत्र में पक्षकार वाद विषय-वस्तु व अनुतोष समान है और उक्त वाद के पश्चात् प्रस्तुत किया गया है। जिसकी कार्यवाही (प्रोसेडिंग) को रोका जाना आवश्यक है। वादी अधिवक्ता ने इसमें सहमति जाहिर की। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में पक्षकार, विषयवस्तु व अनुतोष व उभयपक्ष की सहमति के आधार पर इस वाद की कार्यवाही इसी स्तर पर रोकी जाती है तथा वाद संख्या 96/2021 बउनवानी ओमपाल सिंह बनाम गोपाल के साथ सम्मिलित की जाती है।	
		(हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	